न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नेवरी

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 222 / 17

	वनाम	
1 राजू कवर पुत्री स्व राजूसिह जाति राजपुरोहित		1 रतनसिह पुत्र समर्थसिह
2. रूखमोदेवी बेवा राजूसिह जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिगडी सोढा		2. किशनसिह पुत्र समर्थसिह
		3. कन्हैयालाल पुत्र समर्थसिह
		4. बंशीलाल पुत्र समर्थसिह
		5 गोपीलाल पुत्र समर्थसिह
		6. ईश्वरसिह पुत्र शैतानसिह
		7. कैलाशसिह पुत्र शैतानसिह
		8. मु.अणछी देवी बेवा शैतानसिह
		9. चम्पालाल पुत्र किशनसिह
		10 नारायणसिह पुत्र किशनसिह
		11. घेवरसिह पुत्र किशनसिह
		12 मदनसिह पुत्र रतनसिह
		13 रेखा पुत्री रतनसिह जातियान राजपुरोहित नवासी तिरसिगडी सोढा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर
		14 . राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक त्हसील पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दावा 88, 188 व 92 ए आर. टी. आर.

निर्णय

दिनांकः 22.5.2018

वादीनी के वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि मौजा सरहद तिरसिगड़ी सोढा मे वादीनी सं. 1 कें दादा व वादीनी सं. 2 के ससूर प्रतिवादी सं. 1 रतनसिह के हक पूर्वाधिकारी समर्थसिह के संयुक्त मालिकान को एवं एकल स्वामित्व की कब्जा कारत खातेदारी की निम्न कृषि भूमि अवस्थित रही है।

अ. खसरा सं.	रकबा	हिस्सा
104	54 बीघा 02 विस्वा	1 / 8
91	09 बीघा 05 विस्वा	
115	05 बीघा 19 विस्वा	
267	06 बीघा 12 विस्वा	
कुल रकबा	75 बीघा 18 विस्वा	

ब. खसरा सं.	रकबा	हिस्सा
241	102 बीघा 05 विस्वा	1 / 2
305	01 बीघा 19 विस्वा	
469	21 बीघा 13 विस्वा	
कुल रकबा	125 बीघा 17 विस्वा	

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner

स.	खसरा सं.	रकबा	हिस्सा
	206	104 बीघा 05 बिस्वा	1/4
	245	66 बीघा 07 बिस्वा	
	कुल रकबा	170 बीघा 12 बिस्वा	

द.	खसरा सं.	रकबा	हिस्सा
	253	20 बीघा 02 बिस्वा	सम्पूर्ण हिस्सा
	397	11 बीघा 08 बिस्वा	
	कुल रकबा	31 बीघा 10 बिस्वा	

उपरोक्त वादाग्रस्त कृषि भूमि मे वादीनी सं. 1 के दादा व वादीनी सं. 2 के ससूर प्रतिवादी सं. 1 रतनसिह के हकपूर्वाधिकार समर्थसिह का वादाग्रस्त **कृषि भूमि 'अ'** मे 1/8 हिस्से मे प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा बराबर 1/48 रहा जिसमे से वादीगण का हिस्सा 1/192 बराबर 07 बिस्वा व 18 बिस्वासी रहा इसी प्रकार **कृषि भूमि 'ब'** वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के हकपूर्वाधिकार समर्थसिह का 1/2 हिस्सा रहा, जिसमे प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा बराबर 1/12 रहा, जिसमे से वादीगण का हिस्सा 1/48 बराबर 02 बाघा 14 बिस्वा 05 बिस्वासी रहा इसी प्रकार **कृषि भूमि 'स'** मे समर्थसिह का 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादी सं. 1 का 1/24 हिस्सा रहा जिसमे से वादीगण का 1/96 हिस्सा बराबर 1 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वासी तथा **कृषि भूमि 'द'** का सम्पूर्ण हिस्से मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्से मे वादीगण का 1/24 हिस्सा बराबर 1 बीघ 06 बिस्वा 05 बिस्वासी हिस्से के लिए खातेदार घोषित किया जावे। बाद घोषणा वादीगण के हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण बाधा या अवरोध कारित नही करे और न अन्य किसी से करावे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूध्द जारी कि जावे।

पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया जाकर वादी वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से मे से वादीनी सं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 को स्वय की भूमि मे से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 12 को प्रतिवादी सं. 1 की भूमि मे से 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 13 को प्रतिवादी सं. 1 की भूमि मे से 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादी सं.2 से 11 का हिस्सा पुर्व अनुसार रहेगा प्रतिवादीगण के विरूध्द स्थाई निषेद्याज्ञा जारी कि जाती है। कि वादीगण के हिस्से मे कोई बाधा या अवरोध कारित नही करे व न अन्य से करावे। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नेवरी खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर

भागीरथ राम
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner